दूरभाषः 0121—2665734
फैक्स : 0121—2666062

Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT—250001
CIN-U31200UP2003SGC027458

पत्रांकः 8612/प्रनि/पविविनिलि/मे/(वा)/उ0शि0प्र0फोरम दिनांकः 24.09.2018

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
टाईम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
द्वारा— स्थानीय कार्यालय, टाईम्स ऑफ इण्डिया।

महोदय,

1— कृपया संलग्न सूचना एक बार अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में **दिनांक 26.09.2018** को कम से कम स्थान में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के लिए **14x10 सेमी साइज में** प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे का नाम व पता यथासम्भव एक ही लाइन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

2— कृपया संलग्न सूचना का प्रकाशन **स्थानीय पृष्ठ** पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

3— प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियॉ संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/अधोहस्ताक्षरी को (जहां भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।

4— संलग्न हिन्दी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में ही अंग्रेजी के समाचार पत्र में किया जाये।

5— विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेज दी जाये अन्यथा संबंधित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।

6— यदि आपके सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।

7— विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में राष्ट्र हित में बिजली बचायें का नारा तथा विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।

8— उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है, अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नकः विज्ञप्ति—प्रथम एवं द्वितीय प्रति।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियंता(वाणिज्य—2)

पत्रांकः 8612/प्रनि/पविविनिलि/मे/(वा)/तद्दिनांकः 24.09.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य अभियंता (वितरण क्षेत्र), पविविनिलि, मेरठ/गाजियाबाद/नोएडा।

2— अधीक्षण अभियंता, वि0वि0म0—प्रथम/द्वितीय, मेरठ/बुलन्दशहर/हापुड़/गाजियाबाद/बागपत।

3— अधीक्षण अभियंता, वि0न0वि0मं0—प्रथम,द्वितीय,तृतीय,गाजियाबाद/प्रथम,द्वितीय,नोएडा/मेरठ।

4— उप महाप्रबन्धक (लेखा), पविविनिलि मुख्यालय, मेरठ।

5— सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 मुख्यालय, मेरठ (अनुमोदन की छायाप्रति सहित)

6— कार्यालय सूचना पट्ट, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

संलग्नकः यथोपरि।

(देवेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियंता(वाणिज्य—2)

दूरभाष: 0121—2665734
फैक्स : 0121—2666062

Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT—250001
CIN-U31200UP2003SGC027458

पत्रांक: 8611/प्रनि/पविविनिलि/मे/(वा)/उ0शि0प्र0 फोरम **दिनांक: 24.09.2018**

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
दैनिक जागरण (हिन्दी), मेरठ।

महोदय,

1— कृपया संलग्न सूचना एक बार अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के **मेरठ एवं मुरादाबाद** संस्करण में **दिनांक 26.09.2018** को कम से कम स्थान में हिन्दी भाषा के समाचार पत्र के लिए **14x10 सेमी साइज में** प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे का नाम व पता यथासम्भव एक ही लाइन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

2— कृपया संलग्न सूचना का प्रकाशन **स्थानीय (लोकल) पृष्ठ** पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

3— प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियॉ संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/अधोहस्ताक्षरी को (जहां भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नही होगा।

4— संलग्न हिन्दी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में ही हिन्दी के समाचार पत्र में किया जाये।

5— विज्ञापन अपने **मेरठ एवं मुरादाबाद** के संस्करणों में एक ही तिथि में प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

6— विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेज दी जाये अन्यथा संबंधित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।

7— यदि आपके सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।

8— विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में राष्ट्र हित में बिजली बचायें का नारा तथा विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।

9— उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है, अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक: विज्ञप्ति—प्रथम एवं द्वितीय प्रति।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियंता(वाणिज्य—2)

पत्रांक: 8611 /प्रनि/पविविनिलि/मे/(वा)/तद्दिनांक: 24.09.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य अभियंता (वितरण क्षेत्र), पविविनिलि, मेरठ/गाजियाबाद/नोएडा।
2— अधीक्षण अभियंता, वि0वि0म0—प्रथम/द्वितीय, मेरठ/बुलन्दशहर/हापुड़/गाजियाबाद/बागपत।
3— अधीक्षण अभियंता, वि0न0वि0मं0—प्रथम,द्वितीय,तृतीय,गाजियाबाद/प्रथम,द्वितीय,नोएडा/मेरठ।
4— उप महाप्रबन्धक (लेखा), पविविनिलि मुख्यालय, मेरठ।
5— सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 मुख्यालय, मेरठ (अनुमोदन की छायाप्रति सहित)
6— कार्यालय सूचना पट्ट, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

संलग्नक: यथोपरि।

(देवेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियंता(वाणिज्य—2)

विज्ञप्ति

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के अन्तर्गत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष फोरम, मेरठ में तकनीकी सदस्य की नियुक्ति

उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्याः यू0पी0ई0आर0सी0/सचिव/विनियमावली/07/1259 लखनऊ दिनांक 4.10.2007 के अनुपालन में मेरठ मण्डल स्तर पर गठित किये जाने वाले **उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष फोरम में तकनीकी सदस्य** की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अर्हता के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैंः–

(क) विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री धारक हो।

(ख) विद्युत वितरण में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

(ग) उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियंता, किसी सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम या प्राइवेट कम्पनी में समान पद की श्रेणी से अन्यून पद धारण किया हो।

(घ) अधिक आकांक्षित रूपेण जिसे विनियामक मामलों में अनुभव हो और जिसने 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

आवेदक अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश अवश्य करेः–

(1) जन्म तिथि (2) सेवानिवृत्ति किस पद से हुई।

(3) सेवानिवृत्ति की तिथि (4) अभिज्ञान सं0 यदि कोई हो तो

(5) विभाग के मुख्यालय का पूर्ण पता जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं।

(6) वितरण कार्यो में 10 वर्ष के अनुभव का विवरण।

(7) विनियामक मामलों (Regulatory affairs) में अनुभव का विवरण एवं प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो।

(8) पत्र व्यवहार हेतु पता, दूरभाष संख्या एवं ई–मेल पता।

तकनीकी सदस्य चयनित होने पर तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, फोरम का पद धारण कर सकेगा। सदस्य की नियुक्ति हेतु योग्य/सत्यनिष्ठ/ख्यातिलब्ध व्यक्ति पात्र होंगे।

तकनीकी सदस्य प्रतिमाह समेकित वेतन या ऐसे वेतन का हकदार होगा जैसा कि समय–समय पर आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जाये। शासकीय यात्रा के मामले में भत्ता, जो मुख्य अभियंता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समान श्रेणी के अधिकारी को ग्राह्य है, फोरम के सदस्य को ग्राह्य होगा।

उपरोक्त पद हेतु आवेदन पत्र समस्त विवरण सहित **दिनांक 11.10.2018** तक पंजीकृत डाक से मुख्य अभियंता (वाणिज्य–2), ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को भेजा जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता (वाणिज्य–2)